न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 02/2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

1/1. घनश्याम पुत्र गोपाल
1/2. पुरूषोत्तम पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासीगण गोरधनपुरा
1/3. शान्तिबाई पुत्री गोपाल पत्नि प्रहलाद बैरवा नि. अहमदी तह0 किशनगंज
1/4. कैलाशबाई पत्नि हीरालाल जाति बैरवा नि. रहलाई तह0 अटरू
1/5. गुलाबबाई बेवा गोपाल (मृतक) हिस्सा 3/4
3/1. राधाकिशन पुत्र रामनारायण
3/2. राजेन्द्र पुत्र रामनारायण (मृतक)
3/2/1. पवन नाबा. पुत्र
3/2/2. शालू नाबा. पुत्री
3/2/3. ममताबाई पत्नि स्व. राजेन्द्र
3/3. द्रोपतीबाई
3/4. मीराबाई पुत्रियां रामनारायण
3/5. नाथीबाई बेवा रामनारायण हिस्सा 1/4 जातिगण बैरवा निवासीगण गोरधनपुरा

(अप्रार्थीगण)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

<u>रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956</u>

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**
2. श्री हेमराज बैरवा अभिभाषक **(अप्रार्थीगण)**

<u>आदेश दिनांक– 25.04.2022</u>

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते विवादित आराजी ख0नं0 823 रकबा 1.26 है. किस्म माल I वाके ग्राम गोरधनपुरा तहसील–बारां राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 गैर खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेट[illegible]धि सम्वत् 2015–24 में साबिक खसरा नंबर 748 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा किस्[illegible] वर्तमान सेटलमेंट संवत 2038–2057 में हाल खसरा न[illegible] किस्म गै.मु. तलाई थे। नामान्तरकरण संख्या 347 ग्राम गोरधनपुरा [illegible] आराजी न्यायालय उपखण्ड अधिक[illegible]रां के निर्णय दिनांक 20.11.2002 से अप्रार्थीगण के गैर खाते[illegible] में दर्ज की जाकर उ[illegible]मि की किस्म बारानी I कायम की गयी है। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थीगण के गैर खातेदारी में दर्ज होना नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च

जिला कलक्टर बारां (राज०)
Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.10 11:44:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमियों की किस्म पूर्ववत दर्ज किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां का आदेश दिनांक 20.11.2002 निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1/1 ता 1/2 द्वारा जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश किया कि उक्त आराजी पूर्व से ही बंजड़ काबिल एलोटमेन्ट थी जो अप्रार्थीगण के पिता श्री गोपाल पुत्र रामनारायण को आवंटित की जाकर कब्जा दिया गया था। निर्विवाद रूप से भूमि अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा नियमानुसार वाद संख्या 70/2002 धनश्याम, पुरूषोत्तम बनाम राज. सरकार से डिक्री होकर अप्रार्थीगण की खातेदारी दर्ज हुई है। प्रार्थी ने गलत रूप से आवेदन में वर्णित याचिका का उल्लेख करते हुए अप्रार्थीगण को भूमि से बेदखल कर भूमि छीनने का कृत्य किया है। उक्त भूमि निर्विवाद रूप से कृषि भूमि है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त कार्यवाही निरस्त फरमावें।

जिला कलेक्टर
न्यायालय
बारां (राज०)

अप्रार्थीया क्रम 3/2/3 ममताबाई पत्नि स्व. राजेन्द्र जाति बैरवा निवासी गोरधनपुरा ने जवाब इस आशय का पेश किया कि उक्त आराजी पूर्व से ही बंजड़ काबिल एलोटमेन्ट थी जो अप्रार्थीगण के पिता श्री गोपाल पुत्र रामनारायण को आवंटित कर कब्जा एवं दखल दिया गया था। श्री गोपाल पुत्र रामनारायण की मृत्यु के बाद उसके पुत्र राजेन्द्र का कब्जा है राजेन्द्र की मृत्यु के बाद उसकी पत्नि बेवा ममताबाई का निर्बाध रूप से भूमि पर कब्जा काश्त है तथा नियमानुसार वाद संख्या 70/2002 धनश्याम, पुरूषोत्तम बनाम राज. सरकार से डिक्री होकर अप्रार्थीगण की खातेदारी दर्ज हुई है। प्रार्थी ने गलत रूप से आवेदन में वर्णित याचिका का उल्लेख करते हुए अप्रार्थीगण को भूमि से बेदखल कर भूमि छीनने का कृत्य किया है। उक्त भूमि निर्विवाद रूप से कृषि भूमि है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त कार्यवाही निरस्त फरमावें।

3– उक्त जवाब प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार सरकार एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की सुन[illegible] सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि [illegible]धनपुरा की सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2015–24 में साबिक खसरा [illegible] बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई तथा दौराने सेटलमेंट अवधि 2038 [illegible] नंबर 823 रकबा 1.26 है. किस्म गै.मु. तलाई रहे हैं। नामान्तरकरण संख्या 347 ग्रा[illegible] गोरधनपुरा से उक्त आराजी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के निर्णय दिनांक 20.11.2002 से अप्रार्थीगण के गैर खातेदारी में दर्ज की जाकर उक्त भूमि की किस्म बारानी I कायम की गयी है। जिस वक्त भूमि की किस्म परिवर्तित की गयी उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.तलाई थी, जो

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.10 11:44:28 IST
Reason: SelfAttested

परिवर्तन तथा नियमन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 823 रकबा 1.26 है. बने हैं, जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के गैर खातेदारी में दर्ज है। जिसकी किस्म माल I दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–16 के अन्तर्गत नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त नियमन नियम विरूद्ध हुआ है। ऐसे नियम विरूद्ध नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

4– दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी अप्रार्थीगण के पिता गोपाल पुत्र रामनारायण को काबिल काश्त होने से आवंटन की जाकर कब्जा दिया गया था जो अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रहे तथा उनके बाद उनके वारिसान अप्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के वाद संख्या 70/2002 धनश्याम, पुरूषोत्तम बनाम राज. सरकार में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 20.11.2002 से उक्त आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी दर्ज हुई है। विवादित आराजी वर्तमान में कृषि योग्य भूमि है। उक्त कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो से बाहर जाकर की है अप्रार्थी भूमिहीन काश्तकार है उक्त आराजी के अतिरिक्त अप्रार्थी के पास अन्य कोई आराजी जीवन यापन के लिये नहीं है। अतः उक्त रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार, बारां द्वारा 20 वर्ष से अधिक समय पश्चात् अब्दुल रहमान बनाम सरकार रिट में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 के आधार पर उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त आवंटन/नियमन सरकार द्वारा किया गया है जिसमें स्टेट की ओर से तहसीलदार द्वारा रिप्रजेन्ट किया गया है। इसलिये तहसीलदार को उक्त कार्यवाहीं प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.10 11:44:28 IST
Reason: SelfAttested

5– हमने पेरोकार सरकार तथा अप्रार्थीगण अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2015–24 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 748 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज है। जिसका अप्रार्थीगण के पिता को आवंटन/नियमन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत 2038–57 नये खसरा नम्बर 823 रकबा 1.26 हैं बने है, जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के गैर खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थीगण के पिता को जिस वक्त भूमि आवंटित/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन

जिला कलेक्टर बारां (राज०)
न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थीगण के पिता को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है।

6— माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, बारां का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम गोरधनपुरा में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 823 रकबा 1.26 है0 किस्म माल I, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 748 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई से बना है जिसका अप्रार्थीगण के पिता को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार बारां को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

8— तहसीलदार, बारां को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटन/नियमन की गई आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के गैर खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 25.04.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.10 11:44:28 IST
Reason: SelfAttested